

14/05/18

1. प्रथम दृष्टया - मामला प्रार्थी के
 पक्ष में सिद्ध नहीं हो पाया।
 प्रार्थी पक्ष निराश है कि तब तक
 पक्ष में सिद्ध नहीं हो पाया।

2. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सहायक
 को प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

3. अपीलकर्ता द्वारा - अपीलकर्ता द्वारा
 प्रार्थी को प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हो पाया।
 अपीलकर्ता पक्ष निराश है कि तब तक
 प्रार्थी पक्ष निराश है कि तब तक
 हाथ जाकर उचित कर रहे हैं।
 निर्णय आज दि 14/05/18 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला न्यायाधीश